<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 10/2017

बउनवान

गौरव मीना आयु 22 साल पुत्र स्व.श्री कालूलाल जाति–मीना निवासी–तुलसां तहसील–बारां हाल निवासी–सरस्वती कॉलोनी (डण्डोतिया की बाडी) तेलफेक्ट्री, बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– कल्याणीबाई आयु 58 साल पत्नी स्व.श्री कालूलाल मीण निवासी–तुलसां तहसील–बारां हाल निवासी–सरस्वती कॉलोनी (डण्डोतिया की बाडी) तेलफेक्ट्री, बारां

2– निर्मलाबाई आयु 30 साल पुत्री स्व.कालूलाल पत्नी श्री मुकेश जाति–मीना नि. तुलसां तह.बारां हाल निवासी खरखडा आसन तह. अटरू

3– रानी बाई आयु 28 साल पुत्री श्री कालूलाल पत्नी श्री सुरेश मीना नि.–तुलसां तहसील–बारां हाल निवासी–घासखेडा तह. सांगोद जिला–कोटा

4– रिंकूबाई आयु 25 साल पुत्री स्व.श्री कालूलाल मीना नि. तुलसां हाल निवासी सरस्वती कॉलोनी, तेलफेक्ट्री, बारां जिला–बारां

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)

<u>अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 382 दिनांक 15.05.2004 वाके ग्राम तुलसां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री बनेराज सिंह, अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम 1 ता 4)**

<u>निर्णय दिनांक– 27.02.2019</u>

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजियात् ख0नं0 107 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 108 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 571 रकबा 1.55 है0, ख0नं09 613 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 651 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 714/1289 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 973 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 989 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1238 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1239 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 1240 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 [illegible] 0.04 है0, ख0नं0 1246 रकबा 0.06 है0 कुल 13 किता रकबा 4.43 है0 [illegible] तुलसां तहसील बारां में स्थित है जिसमें अपीलांट व रेस्पों⁄म 1 ता 4 के [illegible] कालूलाल जी का 1/7 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। अपीलांट व रेस्पों [illegible] ता 4 के पिता/पति कालूलाल पुत्र जगन्नाथजी मीना नि0 तुलसां का [illegible] होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक कालूलाल [illegible]ल संख्यज्ञ 382 खोला गया है जिसमें अपीलांट का नाम गौरव मीना के [illegible]गोलू दर्ज कर दिया है जबकि अपीलांट का नाम गौरव मीना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है इन्तकाल पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के नाम के बारे में सहीं प्रकार से पूछताछ व जॉच नहीं करके अपीलांट का नाम गौरव मीना के स्थान पर दर्ज दर्ज कर दिया है जो गलत है। अपीलांट के परिवार राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड व विद्यालय रेकार्ड में अपीलांट का नाम गौरव मीना दर्ज है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भी अपीलांट का नाम गोलू नाबालिग दर्ज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 382 दिनांक 14.5.2004 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में गोलू नाबालिग के स्थान पर गौरव मीना बालिग दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के पिता श्री कालूलालजी के ग्राम तुलसां तहसील बारां में संयुक्त खातेदारी में किता–13 रकबा 4.43 है0 में 1/7 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलांट व रेस्पों क्रम 1 ता 4 की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा फौती इन्तकाल संख्या 382 दर्ज किया गया है जिसमें अपीलांट का नाम गोलू नाबा. दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम गौरव मीना है। उसके राशनकार्ड, पहचानपत्र , आधार कार्ड एवं मार्कशीट सभी में गौरव मीना नाम दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल पुस्त पर बिना जॉच व पूछताछ किये अपीलांट का नाम गोलू दर्ज किये जाने के अनुशंषा की गयी है, इसी आधार पर इन्तकाल तस्दीक किया गया है। अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में गोलू दर्ज हो जाने से अपीलांट का काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जबकि उसके समस्त दस्तावेज एवं रेकार्ड गौरव मीना के नाम से हीं बने हुये है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल सं0 382 दिनांक 14.5.2004 ग्राम तुलसां निरस्त किया जाकर, अपीलांट के नाम गोलू नाबा. के स्थान पर गौरव मीना बालिग का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट के अपीलांट के कथन का [illegible]ये व्यक्त किया कि अपीलांट का वास्तविक नाम गौरव मीना है। इ[illegible]म कथन दर्ज हो गया है। इन्तकाल शुद्धि योग्य है। रेस्पों को सहीं इ[illegible] करने में कोई आपत्ति नहीं है।

5– हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का [illegible]लोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि [illegible]ालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक जगन्नाथ एवं अपीलांट के पिता कालूलाल पुत्र जगन्नाथ के ग्राम तुलसां में सयुक्त खातेदारी में अवस्थित आराजी का दिनांक 15.05.2004 को फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। जिसमें अपीलांट के पिता कालूलाल [illegible] हल्का पटवारी द्वारा जो वंशवृक्ष तैयार किया है उसमें अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो कालूलाल का पुत्र है उसका नाम गोल नाबा. दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में अपीलांट का नाम गौरव मीना पुत्र कालूलाल मीणा अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक कालूलाल का फौती इन्तकाल में अपीलांट का नाम गलत दर्ज किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 382 दिनांक 14.05.2004 वाके ग्राम तुलसां तहसील–बारां निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रेकार्ड से अपीलांट के वास्तविक नाम की जॉच कर, सहीं इन्तकाल दर्ज किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दिनांक 14.03.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(... राव)
... कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर
(राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official